कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316

email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी सूचना

निबंधित माईका/ढ़िबरा मालिकों को सूचित किया जाता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अन्तिम रूप से राज्यसात माईका/ढ़िबरा एवं माईका गावां वन प्रक्षेत्र परिसर, खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र परिसर एवं गिरिडीह वन प्रक्षेत्र परिसर में भंडारित है कि "जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर बिक्री हेतु आम निलामी के लिए दि0–05.09.2025 की तिथि निर्धारित की गई है । जिसमे माईका, ढ़िबरा एवं माईका डस्ट की निलामी किया जाना है।

निलामी में सम्मिलित होने के लिए गेट मनी के रूप में 5000/–(पाँच हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह में भुगतेय हो समर्पित करना होगां

किसी भी दिन कार्यालय अवधि में संबंधित माईका, ढ़िबरा, माईका डस्ट भंडारित है का निरीक्षण किया जा सकता है। प्रचय सूची निलामी के समय उपलब्ध होगी। अपरिहार्य कारणवश निलामी की निर्धारित तिथि में परिवर्तन भी की जा सकती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

17/08/25

E:\Court-2\NIVIDA\Mica\Nilami Suchna.doc

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316

email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी की शर्त्तें

1. निलामी में वैसे व्यक्ति भाग लेंगे जिनका जी0एस0टी0 में निबंधन हो।
2. निलामी में गेट मनी के रूप में 5000/–(पाँच हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं गिरिडीह में भुगतेय) पैन कार्ड तथा जी0एस0टी00 निबंधन की छाया प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात निलामी में भाग लेंगे।
3. नीलामी में भाग लेने वाले निविदादाता को माईका क्रय/विक्रय संबंधी वैद्य लाईसेंस होना अनिवार्य होगा अथवा माईका फैक्ट्री लाईसेंस अनिवार्य होगा।
4. निलामी में माईका/ढ़िबरा वैसी कम्पनी को बेची जायगी जिनके पास विगत दो वित्तीय वर्षों का आयात/निर्यात संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. सर्वोपरि बोली लगाने वाले व्यक्ति को निलामी में क्रय मूल्य का 20% राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जायगी।
6. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन प्रमण्डलीय कार्यालय परिसर, गिरिडीह एवं गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में माईका/ढ़िबरा का लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं। माईका/ढ़िबरा की लॉटों की विवरणी प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के सूचना पट् पर देखा जा सकता है।
7. माईका/ढ़िबरा के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST तथा आयकर) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण–पत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में जमा करेंगे।
8. प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा क्रेता से क्रय मूल्य एवं सेस की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायगी।
9. निलामी में सर्वोपरी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि तक शेष राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी राशि को Forfeit कर लिया जायगा।
10. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
11. निलामी की तिथि में परिवर्तन एवं रद्द करने की शक्ति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को होगा।
12. निलामी में क्रय किये गये माईका/ढ़िबरा को प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर निष्पादित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर माईका/ढ़िबरा के लिए निर्गत पत्र अमान्य होगा।
13. माईका/ढ़िबरा का तौल धर्म–कॉंटा में संबंधित वनपाल/प्रभारी वनपाल/वनरक्षी की उपस्थिति में किया जायगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

E:\Court-2\NIVIDA\Mica\SHART.doc